कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड – 03, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)
Email ID – cglc2012@gmail.com, Fax- 0771-2443516/14

नवा रायपुर, दिनांक............... 6 OCT 2023

//आदेश//

क्रमांक – 29/सी0भ0/स्था0/श्र0आ0/...318.../2023 छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर के माध्यम से श्रम विभाग के अंतर्गत सहायक श्रम पदाधिकारी के पद हेतु आयोजित परीक्षा 2023 में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को श्रमायुक्त संगठन के अंतर्गत सहायक श्रम पदाधिकारी (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी के पद पर वेतनमान रूपये 9300–34800+ ग्रेड वेतन–4300 (लेवल–9) में अनंतिम (PROVISIONAL) रूप से बिन्दु कमांक (01) से (10) मे उल्लेखित शर्तो के अधीन 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाकर श्रमायुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर के अंतर्गत निम्नानुसार अभ्यर्थियों को आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता हैं :–

क्र0	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता का नाम	जन्मतिथि	संवर्ग	नियुक्ति का प्रकार	चयनित संवर्ग	पदस्थापना कार्यालय का नाम
1	सुश्री दीप्ति जायसवाल, पिता स्व. गजानंद प्रसाद	21.06.1998	अ.पि.व. (नॉन किमीलेयर)	सीधी भर्ती	सामान्य (दिव्यांग LV)	कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर।
2	श्री सूरज कुमार, पिता श्री परमानंद सतनामी	05.01.1993	अ.जा.	सीधी भर्ती	अनुसूचित जाति	कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर।
3	श्री मनीष बघेल, पिता श्री धनसिंह बघेल	01.08.1995	अ.ज.जा.	सीधी भर्ती	अनुसूचित जनजाति	कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर।
4	श्री नरेन्द्र कुमार ठाकुर, पिता श्री बंशीलाल ठाकुर	01.01.1995	अ.ज.जा.	सीधी भर्ती	अनुसूचित जनजाति	कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर।

शर्ते :–

1) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक – एफ 13–4/2006/आ0प्र0/1–3, दिनांक 29.06.2013 की कंडिका–6(1) एवं (2) में विहित प्रावधान के अनुसार निर्धारित प्रारूप (एक) में शपथ–पत्र अपने उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा। **(शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न)**

2) अस्थाई नियुक्ति के दौरान उनकी सेवाएं किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति के दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी हैं तथा उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और उन्हें 01 माह की अवधि में जितनी अवधि कम हो उस अवधि के वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।

क्रमशः..........02

3) सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी कराना होगा। यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिये अनुपयुक्त पाए जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि उनका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जायेगा तो उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी।

4) शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त कर्मचारीगण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत शासित होंगे।

5) उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड/जिला मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण–पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती हैं। अतः अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड/जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण–पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाए जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

6) अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण–पत्र गलत पाए जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

7) **आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)** के जिन उम्मीदवारों ने अपने **जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, (संबंधित जिला)** से सत्यापित कराकर प्रस्तुत नहीं किये हैं, ऐसे उम्मीदवारों की यह नियुक्ति अनंतिम (PROVISIONAL) है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किए जाने के अध्यधीन है, और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसा भी मामला हो, दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही, जो की जा सकती हैं, संबंधी कार्रवाई के अतिरिक्त संबंधित की सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी। संबंधित उम्मीदवारों के इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 06 माह की समयावधि में अपने जाति प्रमाण–पत्र का सत्यापन कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8) परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाये जाने पर ही नियमित नियुक्ति करने पर विचार किया जायेगा।

9) उपरोक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

क्रमशः.........03

10) अभ्यर्थी, उपरोक्तानुसार सेवा नियुक्ति हेतु सहमत होने की दशा में आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर तक निर्धारित पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा, जिसके लिए पृथक से कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(भीम सिंह)
श्रमायुक्त
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

पृष्ठ क्रमांक – 29/सी0भ0/स्था0/श्र0आ0/2023/6844, नवा रायपुर, दिनांक 6 OCT 2023

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, श्रम, श्रम विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ0ग0)।
2. सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर (छ0ग0)
4. संबंधित पुलिस अधीक्षक ....को सूचनार्थ प्रेषित।
5. संबंधित सिविल सर्जन, ...को सूचनार्थ प्रेषित।
6. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय..।
7. संबंधित श्री ....
   को सूचनार्थ अग्रेषित कर लेख है कि वे कार्यभार ग्रहण करते समय अपने शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्रों सहित अपनी उपस्थिति कार्यालय को देवें।
8. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
9. आदेश पत्रिका में संकलनार्थ।

श्रमायुक्त
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

प्रारूप (एक)

आरक्षित पद अथवा सीट पर नियुक्त/प्रवेशित/निर्वाचित/नामांकित/मनोनित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत

शपथ—पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... आ0 .... उम्र वर्ष व्यवसाय निवासी .... तहसील .... जिला .... राज्य शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :

(1) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद/सीट/ लाभ/सुविधा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है/था।

(2) मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/नामांकन/मनोनयन आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन प्रदान की गई है।

(3) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को होने के संबंध में ....(प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पद) द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(4) मेरे द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र विहित रीति से तथा विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त प्रमाण—पत्र जारी करने हेतु मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है।

(5) कदाचित उपर्युक्त जाति प्रमाण पत्र/सत्यापन प्रमाण—पत्र के गलत अथवा कपट पूर्वक प्राप्त करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तथा उक्त के आधार पर अथवा स्वप्रेरण से सामाजिक प्रास्थिति जिला स्तरीय सत्यापन समिति मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में कोई जॉच करती है अथवा गहन जॉच हेतु सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण—पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को संदर्भित करती है तथा उक्त समिति या समितियों के द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में की गई जॉच एवं पारित निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में किया गया दावा तथा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है तो बिना किसी अपवाद के आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा, यथास्थिति अनावेदक (संबंधित लोक नियोजक/शैक्षणिक संस्था/संवैधानिक निकाय/राज्य शासन/केन्द्र शासन का नाम) ....

—7—

.... द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त/समाप्त/अपवर्जित किया जा सकेगा तथा मैं उक्त नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा आदि के संबंध में व्यय की गई राशि अनावेदक को वापस करने हेतु दायित्वाधीन होऊॅगा तथा उक्त राशि मुझसे भू राजस्व के बकाया की भॉति वसूली जा सकेगी तथा उक्त संबंध में मेरे विरूद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 में निर्दिष्ट कार्यवाही की जा सकेगी

हस्ताक्षर ....

सत्यापन

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी ....
आत्मज/आत्मजा .... सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कण्डिका 1 से 5 में उल्लिखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशो हवास में सत्यापित करता हूँ

हस्ताक्षर ....